

क्रमांक 3317002/छ.ग./2018/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /04/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- निलंबन शासनादेश सौंपने बाबत-श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 03-05/31/स्था./2018 दिनांक 07.04.2018.

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया संबंधित श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर को निलंबन शासनादेश हस्तगत करते हुए पावती की अभिस्वकृति शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करावें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 3317002/छ.ग./2018/ 6543
प्रतिलिपि :-

दिनांक 7/04/2018

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना, मंडल, रामपुर/कोरबा।
5. संबंधित श्री एस.एल. यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता द्वारा स.क्र. 04।
6. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. विधि अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
8. पटल क्रमांक 332-8 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
9. मास्टर नस्ती।

की ओर शासनादेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र. 02 से 07 हेतु)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
12/4

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

V

32

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक / / 2018

क्रमांक एफ 03-05/31/स्था./2018 :: मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 849/2018 एवं अवमानना प्रकरण क्र. 64/2018 श्री शशांक सिंह विरुद्ध छ0ग0शासन, पारित आदेश दिनांक 09.02.2018 एवं 23.02.2018 के अनुसार प्रकरण में श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर, जो इस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी भी हैं, द्वारा मान.उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन हेतु सम्यक कार्यवाही न किये जाने के कारण अवमानना की स्थिति निर्मित हुई है। इस संबंध में प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2018 के अनुसार, दिनांक 05.04.2018 एवं इस संबंध में समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के बाद भी मान. उच्च न्यायालय के पारित आदेश का पालन न कर छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-(1)(2)(3) का प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर को छ0ग0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानान्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर (छ0ग0) में संबद्ध करता है।

2/ श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राजीव अहिरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 07/04/2018

क्रमांक एफ 03-05/31/स्था./2018

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर अवमानना प्रकरण क्र. 64/2018 पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।
3. निज सचिव, सचिव, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया, संबंधित अधिकारी को निलम्बन आदेश हस्तगत कराते हुए पावती की अभिस्वीकृति उपलब्ध कराने के साथ-साथ संबंधित के विरुद्ध आरोप-पत्रादि तैयार कर, प्रारूप 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

Purnima
10/4/18

10/4/18

10/4/18

10/4/18

10 APR 2018

10/4/18
SECA

5. मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना/महानदी गोदावरी कछार, रायपुर।
 6. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मण्डल, रामपुर/कोरबा/इन्द्रावती परियोजना मण्डल, जगदलपुर।
 7. संबंधित कार्यपालन अभियंता,।
 8. संबंधित अधिकारी— श्री एस.एल.यादव, प्रभारी कार्यपालन अभियंता।
द्वारा:— प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर,
 9. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Alu
7/4/2018

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन